न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34 / 2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/ 39)

1. अमरसिंह पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (मृतक)
   1 / 1. रामी देवी पत्नी स्व. अमरसिंह
   1 / 2. विनोद कुमार पुत्र स्व. अमरसिह
   1 / 3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. अमरसिह
   1 / 4. रामनिवास पुत्र स्व. अमरसिह

   जाति जाट निवासीगण कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. तारूराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पृथ्वीराज पुत्र स्व. तारूराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री अजय कुमार ओझा – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.01.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 (डी) के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 14 / 2021 के निर्णय दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 रविन्द्र कुमार ने तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता तारूराम के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.07.2016 व 01.10.2008 के अनुसार तारूराम की आराजी का नामान्तकरण पृथ्वीराज, रविन्द्रकुमार तथा विकास कुमार के पक्ष में राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कियें जाने के आदेश फरमावे। जिस पर तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.11.2021 द्वारा रविन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पटवारी हल्का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कुलचन्द्र को आदेशित किया कि वसीयतकर्ता श्री तारूराम पुत्र हरीराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 01.10.2008 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय दिनांक 11.11.2021 के विरूद्व अपीलान्ट अमर सिह ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 को मय हर्जा–खर्चा निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि खातेदारी कृषि भूमि चक 7 सी.डी.आर जमाबंदी संवत् 2063–66 खाता सं. 42/38 में प. नं. 227/246 मु. नं. 40 कि. नं. 1/.253 प. नं. 225/246 मु.नं. 42 कि.नं. 5/.253 कुल तादादी .506 है. नहरी मय गै.मु. खाला व चक न. 7 एफ.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2062–65 खाता सं. 31/32 के प.नं. 219/247 (48) कि.नं. 15, 16 24, 25/1.012, प.नं. 220/248 (52) कि. नं. 1–10/.506, प.न. 219/248 मु.न. 53/कि.नं. 4,5,6,7/1.012 कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि तारूराम पुत्र हरीराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि बाबत एक तथाकथित वसीयत दिनांक 01.10.2008 को रविन्द्र कुमार वगैरह के पक्ष में नोटेरी पब्लिक के द्वारा तस्दीकशुदा होना जाहिर कर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कियें जाने हेतु रेस्पाडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया। तथाकथित वसीयत फर्जी ,बनावटी व कूटरचित होने से प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी थी, उक्त वसीयत दिनांक 01.10.2008 को निष्पादित होनी जाहिर की गई है, तथा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 26.05.2021 को प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है जो तकरीबन 13 वर्ष पूर्व होनी दर्शित होती है जो अपने आप में संदेह की स्थिति प्रकट करती है। स्व.तारूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की कोई वसीयत पंजिबद्व व निष्पादित नही करवाई है ना ही उनकी इस प्रकार की कोई इच्छा रही है। तथाकथित वसीयत में उपयोग व उपभोग मे लिया गया स्टाम्प भी स्व. तारूराम के द्वारा या उनके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिवक्ता के द्वारा क्रय किया हुआ नही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का से जैर अपील कृषि भूमि के संबध में मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाही गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 में स्पष्टतः समावेश किया गया है कि " भूमि के क्रय किये जाने के संबध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है" जिससे स्पष्ट जहिर होता है कि जैर अपील आदेश कृषि भूमि स्व.तारूराम की स्वअर्जित कृषि भूमि नही है, अपितु पैतृक कृषि भूमि है। वसीयत कर्ता के द्वारा स्वअर्जित भूमि की वसीसत की जा सकती है पैतृक भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। तथाकथित वसीयत दिनांक 01.10.2008 के गवाह (अपीलान्ट) के द्वारा उक्त वसीयत में गवाहान की जगह अंकित तथाकथित हस्ताक्षर (अमरसिह) के सम्बन्ध में फोरेसिंक साईस विभाग से अपने हस्ताक्षर व तथाकथित वसीयत मे गवाह के रूप में अंकित हस्ताक्षर (अमरसिह) के सत्यापन के सम्बन्ध मे जांच करवाई गई जिस पर जांच दिनांक 26.07.2021 को पूर्ण की गई। उक्त जांच के द्वारा जो ओपिनियन दी गई वो इस प्रकार है। Opinion After considering the above made detailed examination and observations, I am of the opinion that the disputed signature of Amar Singh. Marked as D-1 and standard signature of Amar Singh as detailed above are not in the handwriting of one and the same person and the disputed signaturies the product of copied forgery.उक्त फोरेसिंक साईस विभाग की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नही लिया जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित किया गया जो काबिले खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर पारित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा तथाकथित वसीयत जिसकी निरस्ती बाबत् एक वाद पत्र माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ के समक्ष अनवान अमर सिह बनाम रविन्द्र कुमार दिनांक 26.08.2021 को प्रस्तुत कर दिया जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.09.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को हाजिर अदालत हो गया। सिविल न्यायालय मे वाद पत्र के विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आदेश दिनांक 11.11.2021 में वर्णित कृषि भमि के संबध मे पारित डिक्री दिनांक 21.01.1992 के विरूद्व अपीलान्ट के एक अपील अन्तर्गत धारा – 23 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 अमरसिह बनाम रूकमा देवी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है जिसकी रेस्पोडेन्ट सं. 1 को भली भांति जानकारी है। उक्त अपील के विचाराधीन होने के बावजूद महव्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। जैर अपील कृषि भूमि को लेकर पक्षकारो के मध्य विभिन्न न्यायालयो मे सिविल, राजस्व, फौजदारी प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 कंटेस्टेड होने के कारण उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 75 (डी) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 मय हर्जा–खर्चा निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2016 (1) पृष्ठ 727, एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 70–75 पृष्ठ 38 व 39, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट रविन्द्र कुमार ने तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता तारूराम के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.07.2016 व 01.10.2008 के अनुसार तारूराम की आराजी का नामान्तकरण पृथ्वीराज,रविन्द्रकुमार तथा विकास कुमार के पक्ष में राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर आम सूचना नोटिस का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के आदेश जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई। उक्त भूमि का अलग–अलग बटवारा किया जा चुका है। वसीयत कर्ता की स्वःअर्जित भूमि थी, अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया अपना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त वसीयत बाबत अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में चेलेन्ज कर दिया है, वसीयत के बारे में सिविल न्यायालय तैय करेगे, वसीयत आज तक निरस्त नही हुई है। अपीलान्ट ने कथन किया कि वसीयत में गवाह अमरसिह का हस्ताक्षर है। इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही में अधिकार तैय नही किया जा सकता है। तहसीलदार टिब्बी का निर्णय दिनांक 11.11.2021 अन्तर्गत सैक्शन 135 (1) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पारित किया गया है, उक्त आदेश के विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश नही की जा सकती है। उक्त अपील जिला कलेक्टर के समक्ष लाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण कन्टेस्टेड नही था, अपीलान्ट ने अपील में माना है कि बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपील इस न्यायालय में चल नही सकती है, ना ही किसी स्तर पर सुनवाई हो सकती है। अपीलान्ट को अपील वापिस लौटाई जावे अथवा खारिज की जावे। उक्त भूमि बाबत पूर्व में दिनांक 21.01.1992 को संमक्ष न्यायालय सहायक कलेक्टर संगरिया की डिक्री व निर्णय हो चुका है। कन्सेन्ट डिक्री होने की वजह से सैक्शन 96 (3) सी पी सी के तहत अपील अपीलाधीन आदेश के विरूद्व पेश नही हो सकती है ना ही मेन्टेनेबल है, अपील निरस्त की जावे। अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत नही दी सकती है, क्योकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट को राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश करनी थी। अपीलान्ट राजस्व मण्डल अजमेर गये नही इस प्रकार अपीलान्ट को इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी के साथ अपील पेश नही कर सकता है। अपीलान्ट का धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही अपील में वर्णित भूमि बाबत राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश रेकार्ड व मौका की यथास्थिति रखने का हो चुका है। प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का स्थगन होने एवं जैरकार होने से भी अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1997 पृष्ठ 127, RRD 2002 पृष्ठ 409, RRD 1989 पृष्ठ 266, RRD 2008 पृष्ठ 225 , RRD 2009 पृष्ठ 637, RRD 2002 पृष्ठ 280, RRD 1997 पृष्ठ 238, RRD 2000 पृष्ठ 556, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2010 पृष्ठ 556, , RRD 2006 पृष्ठ 190, RRD 2008 पृष्ठ 217 ,एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 पृष्ठ 306, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 96 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / विश्लेषण किया। प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट स्व. तारूराम जी के जायज वारिसान पुत्र होने से जैर अपील कृषि भूमि मे हित निहित है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. प्रस्तुत अपील तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वसीसतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। अपील मे मुख्य विवाद वसीयत का है। वसीयकर्ता तारूराम पुत्र हरीराम के 5 पुत्र पृथ्वीराज, रविन्द्रकुमार, कृष्ण, अमरसिंह, रामस्वरूप व 2 पुत्रियो कौशल्या व विमला है जो विधिक वारिसान होना वसीयत मे बताया है। इनमे से तारूराम द्वारा केवल दो पुत्रो पृथ्वीराज व रविन्द्र कुमार के पक्ष में वसीयत कराया जाना वसीयत में प्रतिवेदित किया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसृगिक न्याय के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए हितबद्व लोगो की सुनवाई हेतु दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को खारिज कर दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे हितबद्व लोगो की सुनवाई का अभाव पाया गया। वसीयत में वर्णित गवाह अमर सिह पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मिकर के सामने मिकर के पिता तारूराम पुत्र हरीराम जाति जाट द्वारा कभी कोई वसीयत निष्पादित नही की गई व ना ही मिकर के पिता तारूराम ने कभी कोई वसीयत करवाने का कोई कथन किया। जिसके मध्यनजर वसीयत को विवादरहित नही कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे कही भी भूमि को पैतृक भूमि नही होना, सिद्व नही किया है, पैतृक भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते है तथा सभी वारिसान के विधि अनुसार हक –हकूक अर्जित होते है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 विधिनूकूल नही पाया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11.11.2021 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण का स्थापित विधि व नैसृगिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना करते हुए निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर